न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 25/2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री ईश्वर लाल गांधी पुत्र स्व0 श्री लीलाराम, मैसर्स– अप्सरा फ्रेश, सिटी हॉर्ट होटल के सामने, बस स्टेण्ड के पास, मदनगंज किशनगढ़।
2. मैसर्स अप्सरा फ्रेश, सिटी हॉर्ट होटल के सामने, बस स्टेण्ड के पास, मदनगंज किशनगढ़।
3. श्री अभिनव कोहली पुत्र श्री दीपक कोहली, मैसर्स सांई कृपा ट्रेडिंग कम्पनी, चिश्ती विला नं0 1, श्रीनगर रोड़, अजमेर
4. मैसर्स सांई कृपा ट्रेडिंग कम्पनी, चिश्ती विला नं0 1, श्रीनगर रोड़, अजमेर

.....*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी स्वयं।

–: आदेश :–

दिनांक– 13.06.2018

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्ड Fruit Katli (Tapi) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.03.2016 को 03.00 पी.एम. पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स– अप्सरा फ्रेश, सिटी हॉर्ट होटल के सामने, बस स्टेण्ड के पास, मदनगंज किशनगढ़ पर पहूँचे श्री ईश्वर लाल गांधी पुत्र स्व0 श्री लीलाराम मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को Fruit Katli (Tapi) का विक्रय करने हेतु 250–250 ग्राम वजनी पैक पेकेट रखे हुए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान Fruit Katli (Tapi) में मिलावट का शक होने पर 250 ग्राम वजनी चार पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु 360/– रूपयें श्री ईश्वर लाल गांधी पुत्र स्व0 श्री लीलाराम को नगद देकर गवाह श्री करण सिंह तंवर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री ईश्वर लाल गांधी पुत्र स्व0 श्री लीलाराम को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा Fruit Katli (Tapi) को चार बराबर मात्रा के नमूनों में अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर चारों नमूनों पर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए–1291 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक– एफएसएसए/2016/4244 दिनांक 27.04.2016 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस./133/एक्ट /2016/184 दिंनांक 01.04.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच उपयोग में लिया गया Fruit Katli (Tapi) मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 20.02.2017 पेश किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 20.02.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री ईश्वर लाल गांधी पुत्र स्व0 श्री लीलाराम व श्री अभिनव कोहली पुत्र श्री दीपक कोहली को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 30.05.18 को स्वयं उपस्थित होकर जवाब नोटिस व बिल की प्रति पेश की एवं जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भी बिल की प्रति उपलब्ध कराना बताया। अप्रार्थी संख्या 3 दिनांक 13.06.2018 को स्वयं उपस्थित हुये एवं जवाब नोटिस के साथ बिल की प्रति प्रस्तुत की। वरवक्त बहस अप्रार्थीगण के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थीगण ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपों को नकारते हुए यह अनुरोध किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। यदि जांच में Fruit Katli (Tapi) मिसब्राण्ड पाया गया है तो है, इसमें अप्रार्थीगण की ओर से किसी प्रकार की गलती या बदनियति नहीं है। मिसब्राण्ड पाई गई Fruit Katli (Tapi) उनके द्वारा सम्बन्धित फर्म/कम्पनी से क्रय की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा भविष्य में इस तरह की कोई गलती नही की जायेगी। उन पर जुर्माना नहीं लगाते हुए प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूंकि अप्रार्थीगण ने स्वयं न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर लिखित में जवाब

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत किया। फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया Fruit Katli (Tapi) मिसब्राण्ड होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने जांच ही Fruit Katli (Tapi) सम्बन्धित फर्म से क्रय किये जाने का बिल प्रस्तुत कर दिया था जिसमें वह दोषी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा वरवक्त बहस सम्बन्धित कम्पनी से क्रय का बिल प्रस्तुत किया गया, फलस्वरूप अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 3 खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी संख्या 3 को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि अप्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 3 को रु 3000/– (अक्षरे रूपये तीन हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 13.06.2018 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 13.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2018/2333.36 दिनांक : 27.6.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3– श्री ईश्वर लाल गांधी पुत्र स्व0 श्री लीलाराम, मैसर्स– अप्सरा फ्रेश, सिटी हॉर्ट होटल के सामने, बस स्टेण्ड के पास, मदनगंज किशनगढ़।
4– श्री अभिनव कोहली पुत्र श्री दीपक कोहली, मैसर्स सांई कृपा ट्रेडिंग कम्पनी, चिश्ती विला नं0 1, श्रीनगर रोड़, अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner